न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर खीरी
परिवाद संख्या 2479/2019

सीताराम **बनाम** **रामासरे आदि।**

अन्तर्गत धारा- परिवाद
थाना फूलबेहड़।
जिला- लखीमपुर खीरी

02.12.2021

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। परिवादी अनुपस्थित। कोई स्थगन प्रा०पत्र भी नहीं दिया गया। पत्रावली दं०प्र०सं० की धारा 200 बयान हेतु नियत है। अतः पत्रावली लंच बाद पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी
जे०ओ०कोड- UP 3327

लंच बाद

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार-बार पुकार कराने के बाद भी परिवादी अनुपस्थित। समय लगभग अपराह्न 03.30 पी०एम० हो चुका है। परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। न्यायालय द्वारा परिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अवसर दिया गया था किन्तु अन्तिम अवसर प्राप्त करने के बावजूद भी परिवादी आज पुनः अनुपस्थित है न ही परिवादी को ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली दं०प्र०सं० की धारा 200 बयान हेतु नियत है परन्तु परिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा रहा है। ऐसा विदित होता है कि परिवादी परिवाद को चलाने में रूचिकर नहीं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवादपत्र, परिवादी की अनुपस्थिति में तथा साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर खीरी
जे०ओ०कोड- UP 3327